राजस्थान सरकार
आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्रमांक– एफ 5(प)(6)एसीटीएडी/माडा/बजट/वि.के.स./मं.अनु./2019–20/ दिनांक–

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.),
अलवर।

विषय– माडा योजना के गांव में पुलिया एवं ग्रेवल सडक निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति।
संदर्भ– श्री कान्ती प्रसाद मीना, मा. विधायक महोदय, थानागाजी के पत्रांक– SPL/313/2020 दिनांक 08.08.2020 से प्राप्त प्रस्तावों के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के साथ प्राप्त सडक निर्माण के प्रस्तावों की शासन से अनुमोदन पश्चात् निम्नानुसार प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है एवं निम्नाकिंत तालिका के कॉलम संख्या 6 अनुसार कार्यकारी एजेन्सी नियुक्त की जाती है।

(राशि लाखो में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	ग्रा.पं.	पं.स.	राशि	कार्यकारी एजेन्सी
1	2	3	4	5	6
1.	अजबगढ से रामजी का गुवाडा पुलिया व सडक निर्माण		थानागाजी	21.00	पंचायत समिति
2.	सोती का गुवाडा मोड से गुगली का गुवाडा तक पुलिया व सडक निर्माण		थानागाजी	21.00	पंचायत समिति
	कुल राशि			42.00	

कृपया उपरोक्त कार्यों के विस्तृत प्रस्ताव, जनजाति लाभार्थियों की संख्या, उपयोगिता, उपादेयता मय अनुमानित लागत राशि आदि की सूचना प्रेषित कराते हुए कार्यकारी एजेन्सी से निम्नांकित शर्तो के अधीन तकनीकी रिपोर्ट मय ड्राईंग, विस्तृत एस्टीमेट व तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर भिजवाने का श्रम करावे–

1. यदि स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब इस विभाग को सूचित किया जावे। दोहरे व्यय के लिए संबंधित पंचायत समिति एवं कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
2. कार्यकारी एजेन्सी एवं तकनीकी स्वीकृति जारीकर्ता अधिकारी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की प्रचलित ग्रामीण कार्य निर्देशिका की शर्तो के अनुसार कार्य का सम्पादन **गुणवत्तापूर्वक** किया जाने हेतु उत्तरदायी होगी।
3. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यो पर ही तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जावे। कार्य पूर्ण होने पर कार्यपूर्णता प्रमाण–पत्र के साथ बचत राशि पुनः विभाग को लौटाई जावे।
4. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व, प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावें एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy में comm.tad@gmail.com पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावें।
5. जिला परिषद द्वारा ग्रामीण कार्य निर्देशिका के प्रावधानों के अनुसार कार्यकारी एजेन्सी को राशि हस्तांतरित की जाएगी एवं कार्यो के उपयोगिता प्रमाण–पत्र/कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र समायोजित कर इस कार्यालय को प्रेषित किए जायेंगे।
6. कार्य स्थल पर जनजाति विभाग द्वारा निर्माण कार्य का प्रदर्श बोर्ड (Display Board) लगाया जावे।
7. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यो पर ही तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जावे। तकनीकी स्वीकृति के क्रम में जारी कार्यादेश एवं अन्य नियमानुसार राशि से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जावे।
8. कार्य के गुणवत्तापूर्वक सम्पादन के लिए तकनीकी स्वीकृति जारीकर्त्ता अधिकारी उत्तरदायी रहेंगे।

क्रमशः 2

9. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं संशोधन 2013 तथा सामान्य लेखा एवं वित्तीय नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन **गुणवत्तापूर्वक** किया जावे।
10. समय पर निविदाएं आमंत्रित करवाई जावें। कार्य में विलम्ब के कारण यदि लागत में वृद्धि होती है तो कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
11. कार्यो पर स्वीकृत राशि से अधिक व्यय नहीं किया जावे।

भवदीय,

//

(जितेन्द्र कुमार उपाध्याय)IAS
आयुक्त

क्रमांक– एफ 5(प)(6)एसीटीएडी/माडा/बजट/वि.के.स./मं.अनु./2019–20/२५९३१-५१ दिनांक– १९.१०.२०

प्रतिलिपी –निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है–

1. विशिष्ट सहायक, मां.मंत्री महो. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, अलवर।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् (ग्रा.वि.प्र.), अलवर।
5. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा।
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, थानागाजी, जिला– अलवर।
7. निदेशक, मोनिटरिंग कार्यालय हाजा।
8. कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
9. अभियांत्रिकी शाखा कार्यालय हाजा।
10. गार्ड फाईल।

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम)